संख्या: 16/2020/1265/12-2-2020-309/2007

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 4 जुलाई, 2020

विषय: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किसानों की भागीदारी के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार फसली ऋण लेने वाले ऋणी किसानों को योजना में प्रतिभाग नहीं करने के लिए बीमा कराने की अन्तिम तिथि के सात दिन पहले तक बैंक शाखा को लिखित रूप से अवगत कराना आवश्यक है अन्यथा की स्थिति में बैंक द्वारा ऋणी किसान के खाते से प्रीमियम की कटौती कर ली जायेगी। किसानों की भागीदारी की अन्तिम तिथि खरीफ मौसम के लिए 31 जुलाई तथा रबी मौसम के लिए 31 दिसम्बर निर्धारित है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 की महामारी से पूरा प्रदेश प्रभावित है। प्रदेश के कतिपय क्षेत्र वर्तमान में लाकडाउन में हैं तथा अन्य क्षेत्र भी लाकडाउन से प्रभावित हो सकते हैं। इस कारण किसानों का सुगमतापूर्वक आवागमन प्रभावित हो रहा है। अत: बैंकों द्वारा ऐसे किसान जो फसल बीमा योजना के अन्तर्गत प्रतिभागिता नहीं चाहते हैं, उनका व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर हस्तगत करने के साथ-साथ ई-मेल/मोबाइल के द्वारा भेजा गया स्कैण्ड, डाक या अन्य किसी संचार माध्यम से भेजा गया हस्ताक्षरयुक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाए ताकि किसानों को कोविड-19 की महामारी की वर्तमान परिस्थिति में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पडे। इस सम्बन्ध में समस्त बैंकों के प्रदेश मुख्यालयों को पृथक से भी निर्देश भेजे गये हैं।

3. उल्लेखनीय है कि जनपद स्तर पर योजना के समयबद्ध एवं सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मानीटरिंग कमेटी (डीएलएमसी) गठित है। योजना के प्राविधानों में ऋणी किसानों की प्रतिभागिता के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा किए गए वर्तमान संशोधन के आलोक में यह आवश्यक है कि जिला

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

स्तरीय मानीटरिंग समिति की बैठक दिनांक 10 जुलाई, 2020 तक करते हुए सभी बैंकों को अपने स्तर से भी यह निर्देर्शित करें कि सभी बैंक अपने से संबंधित फसली ऋण के ऋणी किसानों को जिनका के0सी0सी0 का नवीनीकरण बैंक द्वारा किया गया है अथवा नया के0सीसी0 बनाया गया है, सभी संबंधित ऋणी किसानों को अनिवार्य रूप से अवगत करा दें कि जो अपनी फसल का बीमा नहीं चाहते हैं वह लिखित रूप से दिनांक 31 जुलाई के सात दिन पहले तक बैंक शाखा को व्यक्तिगत रूप से/ई-मेल/मोबाइल द्वारा स्कैण्ड, डाक अथवा अन्य किसी संचार माध्यम से हस्ताक्षरयुक्त प्रार्थना पत्र उपलब्ध करा दें। बैंकों द्वारा भेजे गये समस्त प्रार्थना पत्रों को स्वीकार करते हुए बीमा की धनराशि की कटौती नहीं करनी है। बैठक का कार्यवृत्त शासन एवं निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रेषित किया जाए।

4. उल्लेखनीय है कि वर्तमान खरीफ, 2020 मौसम में किसानों की प्रतिभागिता की अन्तिम तिथि में कुछ दिन अवशेष बचे हैं, इसलिए बैंकों के स्तर से समय से प्राथमिकता पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए सभी ऋणी किसानों को योजना के अन्तर्गत प्रतिभागिता के सम्बन्ध में वर्तमान परिवर्तन की जानकारी दी जाए ताकि किसानों को योजना में प्रतिभाग नहीं करने के सम्बन्ध में बैंक को अन्तिम तिथि के 07 दिन पहले तक सूचित करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। अत: कृपया इस सम्बन्ध में जनपद स्तर पर विविध प्रचार-प्रसार माध्यमों से प्रेस विज्ञप्ति, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से योजना के संशोधित प्राविधान का जनहित में नि:शुल्क प्रचार प्रसार सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 16 /2020/1265(1) /12-2-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(राधेश्याम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।